[2020] 7 एस. सी. आर. 299

क.

जिला बार संगठन, देहरादून अपनी गोपनीयता के माध्यम से

वी.

ईश्वर शांडिल्य और ओआरएस।

(2020 की विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 5440) 28 फरवरी, 2020

[अरुण मिश्रा और एम**.** आर**.** शाह**,** जेजे।**]**

अधिवक्ता-हड़ताल-भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 (1) (ए)-उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कई जिलों में देहरादून के पूरे जिले में अधिवक्ता सभी शनिवार को अदालतों का बहिष्कार कर रहे थे-उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने जिला बार संघों को हड़ताल के अपने आह्वान को वापस लेने और सभी कार्यशील शनिवार को अदालतों में उपस्थित होने का निर्देश दिया-उत्तराखंड राज्य बार काउंसिल को भी उपरोक्त जिला बार संघों के पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था-जिला न्यायाधीशों को भी उच्च न्यायालय में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था, यदि अधिवक्ता अदालतों में उपस्थित नहीं होते हैं, तो इस पर विचार करने के लिए कि क्या गलती करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग वादियों की कीमत पर और/या समग्र रूप से न्याय वितरण प्रणाली की कीमत पर नहीं किया जा सकता है-हड़ताल पर जाना/अदालतों का बहिष्कार करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में उचित नहीं ठहराया जा सकता है-किसी को भी हड़ताल/अदालतों का बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है-यहां तक कि, ऐसा अधिकार, यदि कोई हो, तो दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है और विशेष रूप से, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित न्याय का अधिकार-इसलिए, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के पूरे जिले में हर शनिवार को अदालतों का बहिष्कार करना।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

299

क.

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए**,** अदालत ने

पकड़ना:**1.** इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बावजूद

पूर्व**-**बंदी।हरीश उप्पल बनाम भारत संघ **(2003) 2** एससीसी **45;** कॉमन कॉज**,** ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ **(2006) 9** एस**.** सी**.** सी**. 295** और कृष्णकांत तामराकर बनाम एम**.** पी**.** राज्य **(2018) 17** एस**.** सी**.** सी**. 27,** यह

अदालत ने बार-बार वकीलों को हड़ताल पर जाने के लिए अयोग्य ठहराया, हड़तालें बेरोकटोक जारी रहीं।वर्तमान मामले में भी अधिवक्ता उत्तरांचल राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कई हिस्सों में पूरे देहरादून जिले में सभी शनिवार को अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं।इस तरह की हड़तालों के कारण, अंतिम पीड़ित वादी होते हैं।विवादित फैसले और आदेश में उल्लिखित आंकड़ों से, चीजें बहुत चौंकाने वाली हैं।हर महीने तीन-चार शनिवार को अधिवक्ता हड़ताल पर होते हैं और किसी न किसी बहाने से काम करने से दूर रहते हैं।यदि वकीलों ने उन दिनों काम किया होता, तो यह व्यापक हित में होता और यह त्वरित न्याय के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता, जिसे अब संविधान के अनुच्छेद **14** और **21** के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।इससे आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे में मदद मिलती और इसलिए यह उन लोगों के हित में होता जो जेल में बंद हैं और अपने मुकदमे के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।जब संस्थान बकाया और मामलों के निपटारे में देरी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, तो समग्र रूप से संस्थान एक महीने में इस तरह की चार दिनों की हड़ताल कैसे कर सकता है।**[**पैरा **6.6] [321-**डी**-**जी**]**

ग

डी.

ई.

2. अब, जहाँ तक याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन कि हड़ताल/अदालतों का बहिष्कार करना संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है और यह वकीलों के समुदाय द्वारा शिकायतों को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण प्रतिनिधित्व का एक तरीका है, इस तरह के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग वादियों की कीमत पर और/या समग्र रूप से न्याय वितरण प्रणाली की कीमत पर नहीं किया जा सकता है।संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में हड़ताल/अदालतों का बहिष्कार करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है।किसी को भी हड़ताल/अदालतों का बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि ऐसा अधिकार, यदि कोई हो, दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है और विशेष रूप से, संविधान के अनुच्छेद **14** और **21** के तहत गारंटीकृत त्वरित न्याय के अधिकार को।

च

जी.

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर। इसके सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य ए

301

क.

किसी भी मामले में, उपरोक्त सभी प्रस्तुतियों पर इस न्यायालय द्वारा पहले से ही और विशेष रूप से ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में विचार किया जाता है।इसलिए, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कई जिलों में देहरादून के पूरे जिले में हर शनिवार को अदालतों का बहिष्कार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और इस तरह यह अदालतों की अवमानना के समान है, जैसा कि इस अदालत ने उपरोक्त फैसलों में कहा था।इसलिए, उच्च न्यायालय विवादित निर्देश जारी करने में पूरी तरह से उचित है।यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार और अंतिम निष्कर्ष और उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों से पूरी तरह सहमत है।इसलिए, वर्तमान विशेष अनुमति याचिका खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।**[**पैरा **6.7] [321-**जी**-**एच**] [322-**ए**-**डी**]**

ग

पूर्व-बंदी।हरीश उप्पल बनाम भारत संघ **(2003) 2** एससीसी

45 :[2002] 5 पूरक।एस. सी. आर. 186; सामान्य कारण, ए

पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ **(2006) 9** एस**.** सी**.** सी**. 295;** कृष्णकांत तामराकर बनाम एमपी राज्य **(2018) 17** एससीसी

डी.

27 :[2018] 4 एससीआर **1098-**पर भरोसा किया गया।निर्णीत विधि संदर्भ

[2002] 5 पूरक।एससीआर **186**

पर भरोसा किया

पैरा **6**

ई.

(2006) 9 एससीसी **295**

पर भरोसा किया

पैरा **6**

[2018] 4 एससीआर **1098**

पर भरोसा किया

पैरा **6**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5440।

च

2016 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 31 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 25.09.2019 के निर्णय और आदेश से।

महाबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय कुमार भाटिया, विजय एस. बिश्नोई, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी.

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2016 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 31 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.09.2019 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिला बार एसोसिएशन,

एच.

देहरादून ने अपने सचिव के माध्यम से वर्तमान एसएलपी को प्राथमिकता दी है। कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निजी प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका (पी. आई. एल.) में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैंः

"देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जिला बार संघ हड़ताल के अपने आह्वान को तुरंत वापस ले लेंगे और सभी कार्यशील शनिवारों पर अदालतों में उपस्थित होना शुरू कर देंगे।राज्य के सभी जिला बार संघ वकीलों के परिवार के सदस्यों के प्रति शोक व्यक्त करने या अन्य कारणों से अदालतों से दूर रहने से तुरंत परहेज करेंगे।यदि वे न्यायालयों में उपस्थित होना शुरू नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, तो संबंधित जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय को अपनी संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

ग

भारतीय बार काउंसिल जल्द से जल्द, और आज से तीन महीने के भीतर किसी भी स्थिति में, अपने दिनांकित कारण-प्रदर्शन नोटिस के अनुसार अवज्ञाकारी बार एसोसिएशनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि ये बार एसोसिएशन इस तरह की हड़ताल/अदालतों का बहिष्कार जारी रखने से बचें।

डी.

उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद, आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के न्यायाधीशों में शनिवार को अवैध हड़ताल/न्यायालयों के बहिष्कार का आह्वान करने के लिए उपरोक्त जिला विधिज्ञ संघों के पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी।इन जिलों के जिला न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालतें शनिवार को काम करें, और पर्याप्त मामलों को सूचीबद्ध किया जाए और सभी कार्यशील शनिवारों पर उनके न्यायाधीश के तहत अदालतों द्वारा उनका निपटारा किया जाए।

ई.

च

संबंधित जिलों के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, अधिवक्ताओं द्वारा अदालतों की हड़ताल/बहिष्कार के कारण अदालत की कार्यवाही बाधित होने की संभावना के बारे में, अदालतों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करेंगे, और इस तरह बार संघों/अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल/बहिष्कार के कारण अदालत की कार्यवाही में किसी भी बाधा को रोकेंगे।

जी.

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

303

यह सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह शनिवार को न्यायालयों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने पर विचार करे, ताकि इस तरह की अवैध हड़तालों/न्यायालयों के बहिष्कार और पूरी तरह से अनुचित शोक संदर्भों से न्यायिक कार्य बाधित न हो, और इसके द्वारा पहले जारी किए गए परिपत्र को लागू किया जाए।"

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे देहरादून जिले में, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कई जिलों में अधिवक्ता पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से सभी शनिवारों पर न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं।चूंकि हड़तालें जरूरतमंद वादियों को न्याय तक पहुंच में गंभीर रूप से बाधा डाल रही हैं, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को रिट याचिका (पी. आई. एल.) के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।उच्च न्यायालय द्वारा विधि आयोग को भेजी गई जानकारी से पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य के संबंध में वर्षों से देहरादून जिले में अधिवक्ता 455 दिनों (औसतन 91 दिन प्रति वर्ष) और हरिद्वार जिले में 515 दिनों (लगभग 103 दिन प्रति वर्ष) के लिए हड़ताल पर थे, उच्च न्यायालय की राय थी कि हड़तालों और न्यायालयों के बहिष्कार में अधिवक्ताओं के आचरण के कारण

ऐसे सभी कार्य दिवसों पर, इसने न्यायालयों के कामकाज को प्रभावित किया है और यह मामलों के लगातार बढ़ते लंबित रहने में योगदान देता है, और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्देश जारी किए गए हैं।3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिला बार एसोसिएशन, देहरादून ने वर्तमान एसएलपी को प्राथमिकता दी है।

ग

डी.

ई.

4. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महाबीर सिंह ने जोरदार ढंग से कहा है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और इस पर विचार नहीं किया है कि हड़ताल/अदालतों का बहिष्कार करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है।

च

4.1 याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि हड़ताल वकीलों के समुदाय द्वारा शिकायतों को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण प्रतिनिधित्व का एक तरीका है क्योंकि कोई अन्य मंच उपलब्ध नहीं है।

जी.

4.2 याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 48 द्वारा प्रदत्त संरक्षण किसी भी कार्य के लिए है।

एच.

सद्भावना से किया गया और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जारी किए गए निर्देश अधिवक्ता अधिनियम की धारा 48 द्वारा प्रदत्त संरक्षण के विपरीत होंगे।

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बार में कहा है कि बार एसोसिएशन ने पहले ही सभी शनिवार को हड़ताल और/या अदालतों का बहिष्कार वापस ले लिया है, उनका बयान रिकॉर्ड में लिया गया है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश, जो यहां ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, हमारी दृढ़ राय है कि उच्च न्यायालय इस तरह के निर्देश जारी करने में पूरी तरह से उचित है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश पूर्व-बंदी के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों के अनुरूप हैं।हरीश उप्पल

ग

बनाम भारत संघ **(2003) 2** एस**.** सी**.** सी**. 45;** कॉमन कॉज**,** ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ **(2006) 9** एस**.** सी**.** सी**. 295** और कृष्णकांत तामराकर बनाम एम**.** पी**.** राज्य **(2018) 17** एस**.** सी**.** सी**. 27**।

डी.

6.1 पूर्व-बंदी के मामले में।हरीश उप्पल (ऊपर), यह न्यायालय

इसने विशेष रूप से देखा है और कहा है कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या सांकेतिक हड़ताल करने या हड़ताल का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है।यह भी देखा गया है कि न ही वे मुवक्किलों की ओर से वकालत आयोजित करते समय हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान के अनुसरण में अदालतों में पेश होने से बच सकते हैं।इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि बार एसोसिएशन या बार काउंसिल द्वारा हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान के अनुसरण में भी अदालत में उपस्थित होने से इनकार करना किसी वकील के लिए गैर-पेशेवर और साथ ही अशोभनीय है।यह आगे देखा गया है कि एक अधिवक्ता न्यायालय का एक अधिकारी होता है और उसे समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है; न्यायालय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं के दायित्व और कर्तव्य होते हैं; वे अपने मुवक्किलों के प्रति कर्तव्य निभाते हैं और हड़ताल न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं।इस प्रकार वे अदालती कार्यवाही को बाधित नहीं कर सकते हैं और अपने मुवक्किलों के हितों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं।

ई.

च

6.2 बार काउंसिलों की भूमिका पर विचार करते समय, उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 25 और 26 में निम्नानुसार देखा गया हैः

जी.

“25. उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम संघ के मामले में

भारत [(1998) 4 एस. सी. सी. 409] में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पेशेवर दुराचार भी न्यायालय की अवमानना के बराबर हो सकता है (पैरा 21)।यह आगे इस प्रकार आयोजित किया गया हैः(एस. सी. सी. पीपी. 444-46, पैरा 79-80)

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

305

यह सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

“79. एक अधिवक्ता जिसे न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, वह भी, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, किसी दिए गए मामले में पेशेवर कदाचार का दोषी हो सकता है, लेकिन यह बार काउंसिल ऑफ द स्टेट या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है कि वह उस अधिवक्ता को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में या तो उसे प्रैक्टिस करने से रोककर या उसके लाइसेंस को निलंबित करके दंडित करे, जैसा कि आवश्यक हो।विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने हमें सूचित किया कि ऐसे मामले हैं जहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक वकील के अपमानजनक और आपत्तिजनक आचरण पर ध्यान देते हुए, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी और यहां तक कि उसे अदालत की अवमानना करने का दोषी पाए जाने के आधार पर 'पेशेवर कदाचार' के लिए दंडित किया था।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य की बार काउंसिल या भारतीय बार काउंसिल, जैसा भी मामला हो, जब उच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता के स्थापित आपत्तिजनक आचरण से अवगत कराया जाता है, तो वे इस अवसर पर उठेंगे और ऐसे अधिवक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत 'भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे'।बार काउंसिल जो एक सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करती है और जिस पर पेशे की गरिमा की रक्षा करने और पेशेवर मानकों और शिष्टाचार को बनाए रखने का दायित्व है, वह भी 'सर्वोच्च न्यायालय की सहायता' में कार्य करने के लिए बाध्य है।इसे, जब भी तथ्यों की आवश्यकता होती है, अवसर पर उठना चाहिए और अवमानना करने वाले अधिवक्ता की स्थिति से अप्रभावित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना चाहिए, जब भी इस न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता के अपमानजनक और अशोभनीय आचरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है।उच्च न्यायालयों के लिए यह भी संभव है कि वे अवमानना करने वाले अधिवक्ता के पेशेवर कदाचार के मामले की ओर राज्य बार काउंसिल का ध्यान आकर्षित करें ताकि राज्य

बार काउंसिल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से आगे बढ़ सके।यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि बार काउंसिल इस अवसर पर आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वे अदालतों की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने और न्याय के प्रशासन में किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।हमारे सामने उपस्थित पक्षों के लिए विद्वान वकील विवाद नहीं करते हैं और उचित रूप से ताकि जब भी कोई रिकॉर्ड अदालत किसी वकील के आचरण के बारे में अपने निष्कर्षों को दर्ज करे, जबकि उसे अदालत की अवमानना करने का दोषी पाए और इच्छा करे या मामले को संदर्भित करे

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

संबंधित बार काउंसिल द्वारा विचार किए जाने पर, अदालतों की गरिमा बनाए रखने और कानून और पेशेवर मानकों और शिष्टाचार की महिमा को बनाए रखने के लिए संबंधित बार काउंसिल द्वारा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।न्याय के प्रशासन में जनता के विश्वास के लिए अदालत के प्रति एक वकील की ओर से अभद्रता, अशिष्टता या अपमानजनक आचरण या अदालत द्वारा बार के विशेषाधिकारों की अवहेलना से अधिक विनाशकारी कुछ भी नहीं है। यदि बार काउंसिल, अदालत से 'संदर्भ' प्राप्त करने के बाद भी, संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो यह अदालत बार काउंसिल से कार्यवाही का रिकॉर्ड भेजकर और उचित आदेश पारित करके अधिनियम की धारा 38 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करने पर विचार कर सकती है।बेशक, धारा 38 के तहत अपीलीय शक्तियां केवल इस न्यायालय के लिए उपलब्ध होंगी न कि उच्च न्यायालयों के लिए।हालांकि, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी।

ग

80. किसी मामले में, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए यह संभव हो सकता है कि अवमानना करने वाले अधिवक्ता को तब तक उसके समक्ष उपस्थित होने से रोका जाए जब तक कि वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता, लेकिन यह उसके लाइसेंस को निलंबित करने या रद्द करने या उसे अधिवक्ता के रूप में वकालत करने से रोकने से बहुत अलग है। अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के अवमाननापूर्ण, अपमानजनक, अशोभनीय या निंदनीय आचरण के मामले में, इस न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के तहत, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में वकालत करने के अपने विशेषाधिकार को वापस लेने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि वह विशेषाधिकार इस न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है और विशेषाधिकार देने की शक्ति में इसे रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति शामिल है।हालाँकि, उस विशेषाधिकार को वापस लेना अन्य अदालतों या न्यायाधिकरणों में एक वकील के रूप में वकालत करने के लिए उनके लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने के बराबर नहीं है।"

डी.

ई.

च

इस प्रकार इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि बार काउंसिलों से इस अवसर पर आगे बढ़ने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि वे अदालतों की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं।हमारे विचार में यह सुनिश्चित करना बार काउंसिलों का कर्तव्य है कि कोई गैर-पेशेवर और/या अशोभनीय आचरण न हो।यह उनका कर्तव्य होने के कारण कोई भी बार काउंसिल हड़ताल या बहिष्कार का आह्वान करने पर भी विचार नहीं कर सकती।इसके बाद बार काउंसिल और यहां तक कि बार एसोसिएशन कभी भी हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने की किसी भी मांग पर विचार नहीं कर सकते हैं या उसे गंभीरता से नहीं ले सकते हैं।ऐसी अपेक्षाओं को उस स्थान पर भेजा जाना चाहिए जहाँ वे संबंधित हैं अर्थात ए

जी.

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

307

यह सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

बेकार कागज की टोकरी।यदि कोई संगठन संबंधित राज्य बार काउंसिल के बहिष्कार के लिए हड़ताल या आह्वान का आह्वान करता है और उनकी विफलता पर भारतीय बार काउंसिल को तुरंत उन अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जो हड़ताल का आह्वान करते हैं और यदि समिति के सदस्य इस उद्देश्य के लिए बैठक बुलाने की अनुमति देते हैं, तो समिति के सदस्यों के खिलाफ।इसके अलावा, यह प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान को साहसपूर्वक नजरअंदाज करे।

26. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अदालतें शक्तिहीन या असहाय नहीं होती हैं।अधिवक्ता अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि अनुशासनात्मक मामलों में भी अंतिम अपीलीय प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय है।इस प्रकार भले ही बार काउंसिल हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान के कारण गैर-उपस्थित होने के लिए एक वकील के खिलाफ एक मुवक्किल की शिकायत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके अपने कर्तव्यों का पालन न करें, एक अपील पर सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और करेगा। इसके अलावा, जैसा कि रेमन सर्विसेज मामले [(2001) 1 एस. सी. सी. 118 में बताया गया है:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 3:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 152] प्रत्येक न्यायालय को अब उन अधिवक्ताओं को शामिल करना चाहिए जो वकालत रखते हैं लेकिन फिर भी लागत के साथ हड़ताल के आह्वान के अनुसरण में अदालतों में उपस्थित होने से बचते हैं।इस तरह की लागत उन नुकसानों के अतिरिक्त होगी जो अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के उपस्थित न होने के कारण हुए नुकसान के लिए चुकानी पड़ सकती है।"

ग

डी.

6.3 उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित दिनांक 1 के प्रस्ताव पर ध्यान दिया, जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ जिला स्तर, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर तालुक/उप-मंडल या तहसील स्तरों पर शिकायत निवारण समितियों का गठन करने का संकल्प लिया गया था।इसके बाद, इस न्यायालय ने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति में केवल हड़तालों को अवैध के रूप में आयोजित करना पर्याप्त नहीं होगा और न ही इससे कोई उद्देश्य पूरा होगा। पीठ और बार द्वारा कुछ ठोस संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि यह देखा जा सके कि अब कोई हड़ताल न हो।इसके बाद, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि (ए) देश के सभी बार एसोसिएशन भारतीय बार काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव को लागू करेंगे, और (बी) अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत, उच्च न्यायालय आवश्यक नियम बनाएंगे ताकि चूक करने वाले अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

ई.

च

जी.

6.4 उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और यहां तक कि वकीलों द्वारा हड़ताल के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंता के बावजूद, चीजों में सुधार नहीं हुआ और फिर से वकीलों के हड़ताल पर जाने के मुद्दे पर सामान्य कारण के मामले में विचार किया गया।

एच.

एक पंजीकृत सोसायटी **(**उपर्युक्त**)** और इस न्यायालय ने उस निर्णय के पैराग्राफ **4** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"4. संविधान पीठ ने पूर्व कैप्टन के मामले में कहा है।हरीश उप्पल मामले **[(2003) 2** एस**.** सी**.** सी**. 45]** ने निम्नलिखित शब्दों में कानून को समाप्त कर दियाः**(**एस**.** सी**.** सी**.** पीपी**. 64** और **71-74,** पैरा **20-21** और **34-36)**

"20. इस प्रकार कानून पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित है।यह प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है जिसने संक्षिप्त रूप से सुनवाई में भाग लेना स्वीकार किया है, भले ही यह दिन-प्रतिदिन और लंबी अवधि के लिए चल सकता है।यह भी तय कानून है कि एक वकील जिसने एक संक्षिप्त स्वीकार कर लिया है, वह अदालत में उपस्थित होने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि बार एसोसिएशन द्वारा बहिष्कार का आह्वान किया जाता है।यह तय कानून है कि बार एसोसिएशन या बार काउंसिल द्वारा हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान के अनुसरण में भी अदालत में उपस्थित होने से इनकार करना एक वकील के लिए गैर-पेशेवर होने के साथ-साथ अशोभनीय भी है।यह तय कानून है कि अदालतें अपने समक्ष लाए गए मामलों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए बाध्य हैं और केवल वकीलों के हड़ताल पर होने के कारण मामलों को स्थगित नहीं कर सकती हैं।कानून यह है कि यह अदालतों का कर्तव्य और दायित्व है कि वे मामलों को जारी रखें या अन्यथा यह हड़ताल के लिए गुप्त होने के समान होगा।यह भी तय कानून है कि यदि न्यायिक अधिकारियों में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाले बार संघों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो यह अदालतों के अधिकार को कम करने के लिए अदालतों को बदनाम करने के बराबर होगा और इस तरह अधिवक्ताओं ने अदालत की अवमानना की होगी।वकील कम से कम महाबीर के बाद से जानते हैं।

ग

डी.

ई.

सिंह मामला [महाबीर प्रसाद सिंह बनाम जैक्स एविएशन (पी) लिमिटेड।

(1999) 1 एस. सी. सी. 37] कि यदि वे बहिष्कार या हड़ताल में भाग लेते हैं, तो इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा को देखते हुए उनकी कार्रवाई प्रत्यक्ष रूप से खराब है।एक वकील का कर्तव्य है कि वह हड़ताल या अदालतों के बहिष्कार के आह्वान को साहसपूर्वक नजरअंदाज करे।वकीलों को भी पता है, कम से कम तब से

च

रेमन सर्विसेज मामला [रेमन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम सुभाष

कपूर (2001) 1 एस. सी. सी. 118:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 3:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 152], कि अधिवक्ता अपने मुवक्किलों को हुए परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे यदि गैर-उपस्थिति केवल हड़ताल के आह्वान के आधार पर थी।

जी.

21. यह भी याद रखना चाहिए कि एक अधिवक्ता न्यायालय का एक अधिकारी होता है और उसे समाज में विशेष दर्जा प्राप्त होता है।न्यायालय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं के दायित्व और कर्तव्य होते हैं।वे अपने ग्राहकों के प्रति कर्तव्य निभाते हैं।हड़तालें ए में हस्तक्षेप करती हैं

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

309

यह सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

न्याय का प्रशासन।इस प्रकार वे अदालती कार्यवाही को बाधित नहीं कर सकते हैं और अपने मुवक्किलों के हितों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं।

***

34. एक अंतिम बात जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए वह यह है कि अदालतों में उपस्थित होने का अधिकार अभी भी अदालतों के नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र में है।अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को लागू नहीं किया गया है और यह सही भी है।न्यायालय में आचरण का नियंत्रण केवल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में ही हो सकता है।इस प्रकार भारत के संविधान का अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को देता है और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 उच्च न्यायालय को उन शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देती है जिन पर एक व्यक्ति (एक अधिवक्ता सहित) सर्वोच्च न्यायालय और/या उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत कर सकता है।कई अदालतों ने इस संबंध में नियम बनाए हैं।ऐसा नियम सभी के लिए मान्य और बाध्यकारी होगा।बार इस बात पर ध्यान दे कि जब तक आत्म-संयम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक अदालतों को अब अवमानना और/या गैर-पेशेवर या अशोभनीय आचरण के दोषी अधिवक्ताओं को अदालतों के समक्ष पेश होने से रोकने के लिए विशिष्ट नियम बनाने पर विचार करना पड़ सकता है।यदि ऐसा नियम बनाया जाता है तो इसका बार काउंसिलों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं होगा।यह न्यायालयों की गरिमा और व्यवस्थित कार्यप्रणाली से संबंधित होगा।अधिवक्ता का अभ्यास करने का अधिकार अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए जाने वाले कई कार्यों को शामिल करता है।अदालतों में पेश होने के अलावा जब भी उसके मुवक्किल उससे परामर्श कर सकते हैं, वह अपनी कानूनी राय दे सकता है, वह दस्तावेज, अभिवचन, शपथ पत्र या कोई अन्य दस्तावेज तैयार कर सकता है, वह कानूनी चर्चा से जुड़े किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकता है, वह किसी भी कार्यालय या फर्म में कानूनी अधिकारी के रूप में काम कर सकता है, वह मुवक्किलों के लिए मध्यस्थ या मध्यस्थ आदि के समक्ष पेश हो सकता है। इस तरह के नियम का एक वकील द्वारा अपने अभ्यास के दौरान किए गए सभी कार्यों से कोई लेना-देना नहीं होगा।वह किसी मुवक्किल की ओर से वकालत भी दायर कर सकता है, भले ही अदालत के अंदर उसकी उपस्थिति की अनुमति न हो।अदालत में आचरण अदालत से संबंधित मामला है और इसलिए बार काउंसिल यह दावा नहीं कर सकती है कि अदालत के अंदर जो होना चाहिए उसे वे अपनी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करके भी नियंत्रित कर सकते हैं।अभ्यास करने का अधिकार, इसमें कोई संदेह नहीं है, वह वंश है जिसमें अदालत में पेश होने और मामलों का संचालन करने का अधिकार एक प्रजाति हो सकती है।लेकिन अदालत में पेश होने और मामलों का संचालन करने का अधिकार एक ऐसा मामला है जिस पर अदालत के पास बड़ा अधिकार होना चाहिए और होना भी चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

पर्यवेक्षी और नियंत्रण शक्ति।इसलिए न्यायालयों को केवल इसलिए न्यायालय में आचरण के नियंत्रण या पर्यवेक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही किया जा सकता है क्योंकि इसमें एक अधिवक्ता का अधिकार शामिल हो सकता है।एक नियम यह निर्धारित कर सकता है कि एक व्यक्ति जिसने अदालत की अवमानना की है या जिसने गैर-पेशेवर और अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया है, उसे अदालतों में पेश होने और वाद करने और मामलों का संचालन जारी रखने का अधिकार नहीं होगा।बार काउंसिल अदालती कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन से संबंधित ऐसे विनियमन को रद्द नहीं कर सकते हैं।इसके विपरीत, यह देखना उनका कर्तव्य होगा कि इस तरह के नियम का सख्ती से पालन किया जाए।कानून के न्यायालयों की संरचना इस तरह से की जाती है कि वे कानून और न्याय की महानता के प्रति सम्मान और सम्मान पैदा करें।कानून के अनुसार न्याय के वितरण के लिए तंत्र अदालत द्वारा संचालित किया जाता है।अदालतों के भीतर कार्यवाही हमेशा गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से होने की उम्मीद की जाती है।अदालत की अवमानना या अशोभनीय या गैर-पेशेवर आचरण के दोषी अधिवक्ता का अदालत में खड़ा होना अदालत की गरिमा को नष्ट कर देगा और यहां तक कि अदालतों की संस्था की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम करने के अलावा इसकी महिमा को भी नष्ट कर देगा।इस तरह के नियम बनाने की शक्ति को कानून का पालन करने के अधिकार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।जबकि बार काउंसिल उत्तरार्द्ध पर नियंत्रण का प्रयोग कर सकती है, अदालतें पूर्व के नियंत्रण में हैं।यह भेद एक ओर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 और दूसरी ओर भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 (1) में भाषा में अंतर से स्पष्ट रूप से सामने आया है।धारा 49 बार काउंसिल को केवल उन शर्तों को निर्धारित करने वाले नियम बनाने का अधिकार देती है जिनके अधीन एक अधिवक्ता को अभ्यास करने का अधिकार होगा अर्थात ऊपर दिए गए अन्य सभी कार्यों को करना।हालाँकि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को इस न्यायालय के समक्ष वकालत करने वाले व्यक्तियों के बारे में अन्य नियमों सहित न्यायालय की इस प्रथा और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।इसी तरह अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 उच्च न्यायालयों को नियम बनाने का अधिकार देती है, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी शर्तें निर्धारित करने के लिए जिन पर एक अधिवक्ता को अदालतों में वकालत करने की अनुमति दी जाएगी।भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक वकील को अदालत में पेश होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।एक वकील अदालत में ऐसी शर्तों के अधीन उपस्थित होता है जो अदालत द्वारा निर्धारित की जाती हैं।यह याद रखना चाहिए कि धारा 30 को लागू नहीं किया गया है, और यह भी दर्शाता है कि अदालत में पेश होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।भले ही धारा 30 ए थी

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

न्यायालय में कार्यवाही का नियंत्रण हमेशा न्यायालय के पास रहेगा।इस प्रकार तब भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार न्यायालयों द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के अधीन होगा जैसे न्यायालयों के बाहर अभ्यास भारतीय बार काउंसिल द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।इस प्रकार एक ओर अधिवक्ता अधिनियम के अन्य प्रावधानों और दूसरी ओर भारत के संविधान की धारा 34 या अनुच्छेद 145 के बीच कोई संघर्ष या टकराव नहीं है।

35. अंत में, यह माना जाता है कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि सांकेतिक हड़ताल पर भी नहीं।विरोध, यदि कोई आवश्यकता हो, तो केवल प्रेस बयान, टीवी साक्षात्कार, अदालत परिसर के बैनर और/या तख्तियां ले जाने, काले या सफेद या किसी भी रंग की बांह पर पट्टी बांधने, अदालत परिसर के बाहर और बाहर शांतिपूर्ण सुरक्षा मार्च, धरना या रिले उपवास आदि पर जाने से ही हो सकता है। यह माना जाता है कि अपने मुवक्किलों की ओर से वकालत रखने वाले वकील हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान के अनुसरण में अदालतों में उपस्थित होने से इनकार नहीं कर सकते हैं।सभी वकीलों को हड़ताल या बहिष्कार के किसी भी आह्वान का पालन करने से साहसपूर्वक इनकार करना चाहिए।एसोसिएशन या काउंसिल द्वारा किसी भी प्रतिकूल परिणाम के साथ किसी भी वकील से मुलाकात नहीं की जा सकती है और निष्कासन सहित किसी भी प्रकृति की कोई धमकी या जबरदस्ती नहीं की जा सकती है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि कोई भी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान पर विचार करने के उद्देश्य से बैठक बुलाने की अनुमति नहीं दे सकता है और ऐसी बैठक के लिए यदि कोई मांग हो तो उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि केवल दुर्लभतम मामलों में जहां बार और/या बेंच की गरिमा, अखंडता और स्वतंत्रता दांव पर है, अदालतें विरोध को नजरअंदाज कर सकती हैं (आंखें मूंद सकती हैं), एक दिन से अधिक समय तक काम से दूर रहना।यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह अदालत को तय करना है कि इस मुद्दे में बार और/या बेंच की गरिमा या अखंडता या स्वतंत्रता शामिल है या नहीं।इसलिए ऐसे मामलों में अधिवक्ताओं को अदालत से अनुपस्थित रहने का फैसला करने से पहले बार के अध्यक्ष को पहले मुख्य न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा और बार को इसका पालन करना होगा। यह माना जाता है कि अदालतें मामलों को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि वकील हड़ताल पर हैं।इसके विपरीत, यह सभी न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे वकीलों की अनुपस्थिति में भी अपने बोर्ड पर मामलों को जारी रखें।दूसरे शब्दों में, अदालतों को हड़तालों या बहिष्कार के आह्वान के लिए गुप्त नहीं होना चाहिए।यह माना जाता है कि यदि कोई वकील, एक मुवक्किल की वकालत पकड़े हुए, हड़ताल के कारण अदालत में उपस्थित होने से दूर रहता है

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

तथापि, वह व्यक्तिगत रूप से उन लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो उन नुकसानों के अतिरिक्त होंगे जो उसे अपने मुवक्किल को हुए नुकसान के लिए चुकाने पड़ सकते हैं।

36. अब यह आशा की जाती है कि उपरोक्त स्पष्टीकरणों के साथ, कोई हड़ताल और/या बहिष्कार का आह्वान नहीं होगा।यह आशा की जाती है कि बेहतर समझ प्रबल होगी और आत्मसंयम का प्रयोग किया जाएगा।याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों पर बार परिषदों की भूमिका पर भी विचार कियाः(एस. सी. सी. पीपी. 66-68, पैरा 25-26)

“25. उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम संघ के मामले में

ग

भारत [(1998) 4 एससीसी 409:ए. आई. आर 1998 एस. सी. 1895:1998 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1706] यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पेशेवर दुराचार भी अदालत की अवमानना के बराबर हो सकता है (पैरा 21)।यह आगे इस प्रकार आयोजित किया गया हैः(एस. सी. सी. पीपी. 444-46, पैरा 79-80)

‘79. एक अधिवक्ता जिसे न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, वह भी, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, किसी दिए गए मामले में पेशेवर कदाचार का दोषी हो सकता है, लेकिन यह राज्य की बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है कि वह उस अधिवक्ता को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में या तो उसे अभ्यास से वंचित करके या उसके लाइसेंस को निलंबित करके दंडित करे, जैसा कि आवश्यक हो।विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमें सूचित किया कि ऐसे मामले हैं जहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक वकील के अपमानजनक और आपत्तिजनक आचरण पर ध्यान देते हुए, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी और यहां तक कि उसे अदालत की अवमानना करने का दोषी पाए जाने के आधार पर "पेशेवर कदाचार" के लिए दंडित किया था।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य की बार काउंसिल या भारतीय बार काउंसिल, जैसा भी मामला हो, जब उच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता के स्थापित आपत्तिजनक आचरण से अवगत कराया जाता है, तो वे इस अवसर पर उठेंगे और ऐसे अधिवक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत "भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे"।बार काउंसिल जो एक सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करती है और जिस पर पेशे की गरिमा की रक्षा करने और पेशेवर मानकों और शिष्टाचार को बनाए रखने का दायित्व है, वह भी "सर्वोच्च न्यायालय की सहायता" में कार्य करने के लिए बाध्य है।इसे, जब भी तथ्यों की आवश्यकता होती है, अवसर पर उठना चाहिए और अवमानना करने वाले अधिवक्ता की स्थिति से अप्रभावित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।इसे ए के अनुसार कार्य करना चाहिए।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

313

यह सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

निर्धारित प्रक्रिया, जब भी इस न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता के अपमानजनक और अशोभनीय आचरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है।उच्च न्यायालयों के लिए यह भी संभव है कि वे अवमानना करने वाले अधिवक्ता के पेशेवर कदाचार के मामले की ओर राज्य बार काउंसिल का ध्यान आकर्षित करें ताकि राज्य बार काउंसिल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से आगे बढ़ सके।यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि बार काउंसिल इस अवसर पर नहीं उठेंगी, क्योंकि वे अदालतों की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने और न्याय के प्रशासन में किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।हमारे समक्ष उपस्थित पक्षों के लिए विद्वान वकील विवाद नहीं करते हैं और सही हैं ताकि जब भी कोई रिकॉर्ड अदालत किसी वकील के आचरण के बारे में अपने निष्कर्षों को दर्ज करे और उसे अदालत की अवमानना करने का दोषी पाते हुए मामले को संबंधित बार काउंसिल द्वारा विचार करने की इच्छा या संदर्भ दे, तो अदालतों की गरिमा बनाए रखने और कानून और पेशेवर मानकों और शिष्टाचार की महिमा को बनाए रखने के लिए संबंधित बार काउंसिल द्वारा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।न्याय के

प्रशासन में जनता के विश्वास के लिए अदालत के प्रति एक वकील की ओर से अभद्रता, अशिष्टता या अपमानजनक आचरण या अदालत द्वारा बार के विशेषाधिकारों की अवहेलना से अधिक विनाशकारी कुछ भी नहीं है। यदि बार काउंसिल, अदालत से "संदर्भ" प्राप्त करने के बाद भी, संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो यह अदालत बार काउंसिल से कार्यवाही का रिकॉर्ड भेजकर और उचित आदेश पारित करके अधिनियम की धारा 38 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करने पर विचार कर सकती है।बेशक, धारा 38 के तहत अपीलीय शक्तियां केवल इस न्यायालय के लिए उपलब्ध होंगी न कि उच्च न्यायालयों के लिए।हालांकि, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी।

ग

डी.

ई.

च

80. किसी मामले में, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए यह संभव हो सकता है कि अवमानना करने वाले अधिवक्ता को तब तक उसके समक्ष उपस्थित होने से रोका जाए जब तक कि वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता, लेकिन यह उसके लाइसेंस को निलंबित करने या रद्द करने या उसे अधिवक्ता के रूप में वकालत करने से रोकने से बहुत अलग है।रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के अवमाननापूर्ण, अपमानजनक, अशोभनीय या निंदनीय आचरण के मामले में, इस न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के तहत, रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में वकालत करने के अपने विशेषाधिकार को वापस लेने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि वह विशेषाधिकार इस न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है और

जी.

एच.

विशेषाधिकार देने की शक्ति में इसे निरस्त करने या निलंबित करने की शक्ति शामिल है।हालाँकि, उस विशेषाधिकार को वापस लेना अन्य अदालतों या न्यायाधिकरणों में एक वकील के रूप में वकालत करने के लिए उनके लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने के बराबर नहीं है।'

इस प्रकार इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि बार काउंसिलों से इस अवसर पर आगे बढ़ने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि वे अदालतों की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं।हमारे विचार में यह सुनिश्चित करना बार काउंसिलों का कर्तव्य है कि कोई गैर-पेशेवर और/या अशोभनीय आचरण न हो।यह उनका कर्तव्य होने के कारण कोई भी बार काउंसिल हड़ताल या बहिष्कार का आह्वान करने पर भी विचार नहीं कर सकती।इसके बाद बार काउंसिल और यहां तक कि बार एसोसिएशन कभी भी हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने की किसी भी मांग पर विचार नहीं कर सकते हैं या उसे गंभीरता से नहीं ले सकते हैं।इस तरह की आवश्यकताओं को उस स्थान पर भेजा जाना चाहिए जहां वे संबंधित हैं अर्थात अपशिष्ट-कागज की टोकरी।यदि कोई संगठन हड़ताल या बहिष्कार का आह्वान करता है, तो संबंधित राज्य बार काउंसिल और इसकी विफलता पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तुरंत उन अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जो हड़ताल का आह्वान करते हैं और यदि समिति के सदस्य इस उद्देश्य के लिए बैठक बुलाने की अनुमति देते हैं, तो समिति के सदस्यों के खिलाफ। इसके अलावा, यह प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान को साहसपूर्वक नजरअंदाज करे।

डी.

26. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अदालतें शक्तिहीन या असहाय नहीं होती हैं।अधिवक्ता अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि अनुशासनात्मक मामलों में भी अंतिम अपीलीय प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय है।इस प्रकार भले ही बार काउंसिल हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान के कारण गैर-उपस्थित होने के लिए एक वकील के खिलाफ एक मुवक्किल की शिकायत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके अपने कर्तव्यों का पालन न करें, एक अपील पर सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और करेगा। इसके अलावा, जैसा कि रेमन में बताया गया है

ई.

च

सेवा मामला [रेमन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम।सुभाष कपूर, (2001) 1

एससीसी 118:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 3:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 152] प्रत्येक न्यायालय को अब उन अधिवक्ताओं को शामिल करना चाहिए जो वकालत रखते हैं लेकिन फिर भी हड़ताल के आह्वान के अनुसरण में अदालतों में उपस्थित होने से बचते हैं, लागत के साथ।इस तरह की लागत उन नुकसानों के अतिरिक्त होगी जो अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के उपस्थित न होने के कारण हुए नुकसान के लिए चुकानी पड़ सकती है।" उपरोक्त कानून को दोहराने के अलावा, हम आगे कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।अवमानना नोटिसों को खारिज कर दिया जाता है।"

जी.

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

315

यह सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

6.5 कृष्णकांत तामराकर (उपरोक्त) के मामले में देरी/त्वरित निपटान के मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अवसर मिला कि बार-बार हड़ताल करना न्याय तक पहुंच में कैसे बाधा डालता है और स्थिति को सुधारने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है।उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि त्वरित न्याय तक पहुंच भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है।इस न्यायालय की राय थी कि वकीलों द्वारा हड़ताल करना देरी का एक कारण/मूल कारण है।उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने 266 वें विधि आयोग की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया, जिसमें देहरादून और हरिद्वार जिलों में ही वकीलों द्वारा की गई हड़ताल का संदर्भ था।उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर भी ध्यान दिया।इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि हड़ताल इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है, इसलिए यह अवमानना के बराबर है और कम से कम हड़ताल का आह्वान करने वाले संघों के पदाधिकारी अवमानना के लिए अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकते हैं।पैराग्राफ 41 से 50 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ग

डी.

"41. हम त्वरित न्याय के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार कर सकते हैं।यह सर्वविदित है कि कुछ स्थानों पर लगातार हड़तालें होती हैं, जो न्याय तक पहुंच में गंभीर रूप से बाधा डालती हैं।यहां तक कि हिरासत में बंद व्यक्तियों के मामलों में भी देरी होती है।प्रत्येक हड़ताल से न्यायिक प्रणाली, विशेष रूप से न्याय के उपभोक्ताओं को अपरिवर्तनीय क्षति होती है।उन्हें न्याय तक पहुँच से वंचित किया जाता है।न्यायिक और सार्वजनिक समय के बर्बाद होने के कारण करदाताओं का पैसा बर्बाद हो जाता है।इस तरह के नुकसान और उत्पीड़न के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

ई.

42. डॉ**.** अम्बेडकर ने **25-11-1949** पर अपने प्रसिद्ध भाषण में चेतावनी दी थी:**(**सी**.** ए**.** डी**.** वॉल्यूम**. 11)**

च

"मेरी राय में पहली बात यह है कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को दृढ़ता से अपनाना चाहिए।इसका मतलब है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों को छोड़ना होगा।इसका मतलब है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके को छोड़ देना चाहिए।जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, तो असंवैधानिक तरीकों के लिए बहुत अधिक औचित्य था।लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।ये तरीके अराजकता के व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं हैं और जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाएगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा।"

जी.

एच.

43. संविधान निर्माता की उपरोक्त चेतावनी का कम से कम कानूनी बिरादरी द्वारा पालन करने की आवश्यकता है।बार में न्याय तक पहुँच में सहायता करने के अपने पेशेवर कर्तव्य को हर दूसरे विचार से ऊपर रखने की परंपरा है।स्थिति से कैसे निपटा जाए।सक्षम अधिकारी अंतिम निर्णय ले सकते हैं।

44. हरीश उप्पल बनाम भारत संघ में [हरीश उप्पल बनाम।

भारत संघ, (2003) 2 एस. सी. सी. 45], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या अदालतों के बहिष्कार का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वे अदालतों से दूर रह सकते हैं।इस तरह के उद्देश्य के लिए बार एसोसिएशन या बार काउंसिल द्वारा दिए गए आह्वान के लिए अदालत को मामलों को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।हड़ताल या अदालत से दूर रहना गैर-पेशेवर है।यद्यपि उक्त निर्णय दिए जाने के 15 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी इस न्यायालय के निर्णय का बार-बार उल्लंघन किया जाता है और कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं।अदालतों में पेश होने के अधिकार का विनियमन अदालतों के अधिकार क्षेत्र में होता है।इस न्यायालय ने विधि आयोग से इसके लिए नियामक ढांचे में उचित बदलाव का सुझाव देने के लिए भी कहा

ग

डी.

कानूनी पेशा [महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 8

एससीसी 335:(2016) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 1:(2016) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 476:(2016) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 390]।विधि आयोग ने 266 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है।अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (कानूनी पेशे का विनियमन) पर।यह समस्या कानून के शासन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

ई.

45. महिपाल सिंह राणा में [महिपाल सिंह राणा बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 8 एस. सी. सी. 335:(2016) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 1:(2016) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 476:(2016) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 390], इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ऐसी शर्तें निर्धारित करने के लिए नियम बना सकते हैं जिन पर अधिवक्ताओं को अदालतों में वकालत करने की अनुमति दी जा सकती है। एक वकील को अदालत में पेश होने से रोका जा सकता है, भले ही कदाचार के लिए अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र बार के पास निहित हो।

च

परिषदें [महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 8 एससीसी

335, पैरा 20,30 से 35]।इस न्यायालय ने विधि आयोग से कानूनी विनियमन से संबंधित सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने का अनुरोध किया।

जी.

पेशा [महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 8 एस. सी. सी.

335, पैरा 58]।46. तदनुसार, विधि आयोग ने कानूनी पेशे के विनियमन से संबंधित प्रासंगिक पहलुओं की जांच की।विधि आयोग ने अपनी 266 वीं रिपोर्ट में पाया कि ए का ऐसा आचरण

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

317

यह सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अधिवक्ता अदालतों के कामकाज को प्रभावित करते हैं और विशेष रूप से यह मामलों के लंबित होने में योगदान देता है।इसने हड़ताल के आह्वान के कारण कार्य दिवसों के नुकसान के आंकड़ों का विश्लेषण किया।विश्लेषण इस प्रकार हैः

“ 7.2.उत्तराखंड राज्य में, उच्च न्यायालय द्वारा वर्षों 2012-2016 के लिए भेजी गई जानकारी से पता चलता है कि देहरादून जिले में, अधिवक्ता 2012-2016 (औसतन, प्रति वर्ष 91 दिन) के दौरान 455 दिनों के लिए हड़ताल पर थे।हरिद्वार जिले में हड़ताल के कारण 515 दिन (वर्ष में 103 दिन) बर्बाद हो गए।

7.3.राजस्थान राज्य के मामले में, जोधपुर में उच्च न्यायालय ने 2012-2016 के दौरान 142 दिनों की हड़ताल देखी, जबकि जयपुर पीठ के लिए यह आंकड़ा 30 था।अजमेर जिला अदालतों में अकेले वर्ष 2014 में 118 दिनों तक हड़ताल रही, जबकि झालावाड़ में 2012 में हड़ताल के कारण 146 दिन बर्बाद हो गए।

ग

डी.

7.4.उत्तर प्रदेश का मामला सबसे बुरा प्रतीत होता है।अधीनस्थ अदालतों में वर्षों 2011-2016 के लिए हड़ताल के आंकड़े खतरनाक रूप से अधिक हैं।उत्तर प्रदेश राज्य में जिला न्यायालयों को वर्ष में 265 दिन काम करना पड़ता है।सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पांच साल की अवधि में हड़ताल की अवधि मुजफ्फरनगर (791 दिन), फैजाबाद (689 दिन), सुल्तानपुर (594 दिन), वाराणसी (547 दिन), चंदौली (529 दिन), अंबेडकर नगर (511 दिन), सहारनपुर (506 दिन) और जौनपुर (510 दिन) रही है।सबसे अधिक प्रभावित आठ जिलों में हड़ताल के दिनों की औसत संख्या वर्ष में 115 दिन होती है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित न्यायालय एक वर्ष में औसतन केवल 150 दिनों के लिए काम कर सकते थे।

ई.

च

7.5.इस संबंध में, तमिलनाडु में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति किसी भी तरह से बेहतर नहीं थी।तमिलनाडु के उच्च न्यायालय ने बताया है कि राज्य में न्यायालयों के लिए वर्ष में 220 कार्य दिवस होते हैं।इस अवधि के दौरान, कांचीपुरम जैसे जिले, 687 दिन (प्रति वर्ष 137.4 दिन); कन्याकुमारी, 585 दिन (प्रति वर्ष 117 दिन); मदुरै, 577 दिन (प्रति वर्ष 115.4 दिन); कुड्डालोर, 461 दिन (प्रति वर्ष 92.2 दिन); और शिवगंगई, 408 दिन (प्रति वर्ष 81.6 दिन), अधिवक्ताओं द्वारा बुलाई गई हड़ताल से सबसे अधिक प्रभावित हुए।

जी.

एच.

318

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

7.6.मध्य प्रदेश और ओडिशा के उच्च न्यायालयों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार, तस्वीर संतोषजनक नहीं है।

7.7.आयोग ने नोट किया कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल या अदालत से उनका बहिष्कार शायद ही किसी उचित कारण से था। इसे कोई ठोस कारण नहीं मिला जिसके लिए अधिवक्ताओं ने अदालतों में हड़ताल या काम का बहिष्कार किया।हड़ताल के आह्वान या काम से दूर रहने के कारण स्थानीय, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक भिन्न थे, जिनकी अदालतों के कामकाज से कोई प्रासंगिकता नहीं थी।कुछ का उल्लेख करने के लिए, पाकिस्तान स्कूल में बम विस्फोट, श्रीलंका के संविधान में संशोधन, अंतर-राज्य नदी जल विवाद, अधिवक्ता पर हमला/हत्या, नेपाल में भूकंप, उनके करीबी रिश्तेदारों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए, अन्य राज्य बार संघों के अधिवक्ताओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंदोलनों को नैतिक समर्थन, भारी बारिश, या कुछ धार्मिक अवसरों जैसे श्राद्ध, अग्रसेन जयंती, आदि या यहां तक कि कवि सम्मेलन के लिए भी।

ग

डी.

7.8.आयोग का विचार है कि जब तक बाध्यकारी परिस्थितियां नहीं होती हैं और संबंधित बार काउंसिल से एक दिन की प्रतीकात्मक हड़ताल के लिए मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक अधिवक्ता हड़ताल या अदालत के काम से दूर रहने का सहारा नहीं लेंगे।"

ई.

47. इसके बाद, विधि आयोग ने हरीश उप्पल मामले (हरीश उप्पल बनाम भारत संघ, (2003) 2 एस. सी. सी. 45) में इस न्यायालय के फैसले में टिप्पणियों का उल्लेख किया कि बार द्वारा दुर्लभतम स्थितियों को छोड़कर कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए जो एक दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।बार काउंसिलों से इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।विधि आयोग ने नोट किया कि हड़तालें जारी थीं और न्याय तक पहुँच में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही थीं।यह देखा गया:(रिपोर्ट संख्या 266)

च

" 8.3.इन सबके बावजूद हड़तालें बेरोकटोक जारी हैं।न्याय का वितरण किसी भी कारण से नहीं रुकना चाहिए।वकीलों की हड़ताल ने आम जनता की नजरों में अदालतों की छवि को कम कर दिया है।उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि त्वरित न्याय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है।

जी.

संविधान।हुसैनारा खातून (1) बनाम बिहार राज्य ए

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

319

यह सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

[हुसैनारा खातून (1) बनाम बिहार राज्य (1980) 1 एस. सी. सी.

81 :1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 23] और कुछ अन्य मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी को त्वरित न्याय का अधिकार है।हालाँकि, वकीलों की हड़ताल के परिणामस्वरूप राज्य में नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है।

8.4.हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने हुसैन बनाम भारत संघ [हुसैन बनाम भारत संघ, (2017) 5 एस. सी. सी. 702 की आपराधिक अपील का निपटारा करते हुएः(2017) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 638] ने न्यायालय का बहिष्कार करने की प्रथा की निंदा करते हुए कहा किः'27. एक अन्य पहलू इंगित किया गया है कि वकीलों द्वारा अनावश्यक हड़ताल/काम से दूर रहने या शोक प्रस्तावों के बाद अदालत के काम को बार-बार निलंबित करने से अदालती कार्यवाही में बाधा आती है।इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए

ग

हरीश उप्पल बनाम भारत संघ [हरीश उप्पल बनाम भारत संघ।

भारत संघ, (2003) 2 एस. सी. सी. 45], इस तरह के काम का निलंबन या हड़ताल स्पष्ट रूप से अवैध है और यह सही समय है कि कानूनी बिरादरी समाज के प्रति अपने कर्तव्य को महसूस करे जो सबसे महत्वपूर्ण है।शोक संदेश समय-समय पर दो/तीन महीनों में एक बार कहा जा सकता है और बार-बार नहीं।गवाहों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई यदि उन्हें बुलाए जाने के दिन उनका साक्ष्य दर्ज नहीं किया जाता है या अदालत की कार्यवाही में इस तरह के परिहार्य व्यवधानों के कारण हिरासत में विचाराधीन कैदियों पर देरी का प्रभाव पेशेवरों के किसी भी जिम्मेदार निकाय के लिए चिंता का विषय है और उन्हें उचित कदम उठाने चाहिए।किसी भी मामले में, सभी संबंधित प्राधिकरणों-केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/बार काउंसिलों/बार एसोसिएशनों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों और इस खतरे से निपटने के तरीकों और साधनों का पता लगाने की आवश्यकता है।उपरोक्त निर्णय के अनुरूप, उच्च न्यायालयों को इस पहलू की सख्ती से निगरानी करनी चाहिए और न्याय के प्रशासन के हित में आवश्यक कठोर उपाय करने चाहिए।'

डी.

ई.

च

जी.

8.5.रेमन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनामसुभाष कपूर [रेमन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम।सुभाष कपूर, (2001) 1 एससीसी

118 :2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 3:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 152], शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता यह दावा करता है कि हड़ताल करने का उसका अधिकार उसे बिना किसी नुकसान के होना चाहिए, लेकिन नुकसान केवल उसके निर्दोष मुवक्किल द्वारा वहन किया जाना चाहिए, तो ऐसा दावा इसके विपरीत है -

एच.

निष्पक्ष खेल का कोई भी सिद्धांत और नैतिकता के नियम।इसलिए, जब वह अदालत में हड़ताल या बहिष्कार करने का विकल्प चुनता है, तो उसे कम से कम उस वादी मुवक्किल को हुए आर्थिक नुकसान को सहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिसने अपना विवरण उस वकील को पूरे विश्वास के साथ सौंपा था कि उसका मुद्दा उस वकील के हाथों में सुरक्षित रहेगा।"

48. कानूनी पेशे के विनियमन के अन्य पहलुओं की जांच करते हुए, विधि आयोग ने अधिवक्ता अधिनियम के नियामक तंत्र की समीक्षा की सिफारिश कीः(रिपोर्ट संख्या 266)

" 17.1.अधिवक्ता अधिनियम के नियामक तंत्र की समीक्षा करने की सख्त आवश्यकता है, न केवल अधिवक्ताओं के अनुशासन और कदाचार के मामलों में, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कानूनी पेशे के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए।बार काउंसिलों के गठन और उनके कार्यों के लिए कुछ प्रावधानों को लागू करने की भी आवश्यकता होती है ताकि बार काउंसिलों के आंतरिक मामलों में भी उनके कार्य को मजबूत किया जा सके।"49. चूँकि हड़ताल इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है, इसलिए इतनी ही राशि अवमानना के लिए है और कम से कम हड़ताल का आह्वान करने वाले संघों के पदाधिकारी अवमानना के लिए अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकते हैं।हड़ताल पर जाने और काम से दूर रहने का हर प्रस्ताव अवमानना है।भले ही कदाचार के लिए संबंधित अदालत या संबंधित बार काउंसिल द्वारा ऐसे अवमानकों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए एक कानून लंबित रहने तक इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करने के लिए कुछ तंत्र प्रदान करना आवश्यक है।

ग

डी.

ई.

च

50. तदनुसार, हम अनुच्छेद 14 और 21 और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के तहत न्याय तक त्वरित पहुंच के मौलिक अधिकार को लागू करने की दृष्टि से, कानून और न्याय मंत्रालय को हड़ताल/काम से दूर रहने, नुकसान होने और प्रस्तावित कार्रवाई पर कम से कम एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना आवश्यक समझते हैं।इसके बाद इस मामले पर इस न्यायालय की अवमानना या अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में विचार किया जा सकता है।न्यायालय, तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित कर सकता है कि प्रस्ताव पारित करने वाले बार एसोसिएशन/बार काउंसिल के पदाधिकारी ए

जी.

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

हड़ताल या काम से दूर रहने के लिए, किसी भी न्यायालय के समक्ष एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या उस समय तक उपस्थित होने से रोके जाने के लिए उत्तरदायी हैं जब तक कि वे एक उचित वचन/शर्तों के आधार पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए अवमानना से खुद को शुद्ध नहीं कर लेते।जब तक संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

उनके द्वारा दायर किए जा रहे उचित वचन पर अनुमति नहीं देते, तब तक वे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के पद से तुरंत हटाए जाने के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं।यह किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा हो सकता है जो न्याय तक पहुंच में बाधा डालने के उक्त अवैध कृत्यों के लिए की जा सकती है।इस संबंध में उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी इस न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार किया जा सकता है।यदि स्थिति आवश्यक हो तो यह तिमाही के अंत से पहले भी किसी अन्य स्रोत से रिपोर्ट/याचिका पर रोक नहीं लगाता है।"

ग

6.6 उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बावजूद, इस न्यायालय ने बार-बार वकीलों को हड़ताल पर जाने के लिए अयोग्य ठहराया, हड़तालें बेरोकटोक जारी रहीं।वर्तमान मामले में भी अधिवक्ता उत्तरांचल राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कई हिस्सों में पूरे देहरादून जिले में सभी शनिवार को अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं।इस तरह की हड़तालों के कारण, अंतिम पीड़ित वादी होते हैं।विवादित फैसले और आदेश में उल्लिखित आंकड़ों से, चीजें बहुत चौंकाने वाली हैं।हर महीने तीन-चार शनिवार को अधिवक्ता हड़ताल पर होते हैं और किसी न किसी बहाने से काम करने से दूर रहते हैं।यदि वकीलों ने उन दिनों काम किया होता, तो यह व्यापक हित में होता और यह त्वरित न्याय के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता, जिसे अब संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।इससे आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे में मदद मिलती और इसलिए यह उन लोगों के हित में होता जो जेल में बंद हैं और अपने मुकदमे के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।जब संस्थान बकाया और मामलों के निपटारे में देरी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, तो समग्र रूप से संस्थान एक महीने में इस तरह की चार दिनों की हड़ताल कैसे कर सकता है।

डी.

ई.

च

जी.

6.7 अब जहां तक याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन कि हड़ताल/अदालतों का बहिष्कार करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है और यह वकीलों के समुदाय द्वारा शिकायतों को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण प्रतिनिधित्व का एक तरीका है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ऐसा अधिकार है।

एच.

वादियों की कीमत पर और/या समग्र रूप से न्याय वितरण प्रणाली की कीमत पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है।संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में हड़ताल/अदालतों का बहिष्कार करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है।किसी को भी हड़ताल/अदालतों का बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है।यहां तक कि ऐसा अधिकार, यदि कोई हो, दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है और विशेष रूप से, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित न्याय के अधिकार को।किसी भी मामले में, उपरोक्त सभी प्रस्तुतियों पर इस न्यायालय द्वारा पहले से ही और विशेष रूप से ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में विचार किया जाता है।इसलिए, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कई जिलों में देहरादून के पूरे जिले में हर शनिवार को अदालतों का बहिष्कार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और इस तरह यह अदालतों की अवमानना के समान है, जैसा कि इस अदालत ने उपरोक्त फैसलों में कहा था।इसलिए, उच्च न्यायालय विवादित निर्देश जारी करने में पूरी तरह से उचित है।हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार और अंतिम निष्कर्ष और उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों से पूरी तरह सहमत हैं।इसलिए, वर्तमान विशेष अनुमति याचिका खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।हम आगे सभी संबंधित और संबंधित जिला बार संघों को वर्तमान एसएलपी में विवादित उच्च

न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का सही मायने में पालन करने का निर्देश देते हैं।यह निर्देश दिया जाता है कि यदि यह पाया जाता है कि विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया गया है, तो एक गंभीर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा सहित परिणाम सामने आएंगे।

ग

डी.

ई.

7. जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, इस न्यायालय के निर्णयों के बावजूद

पूर्व-बंदी हरीश उप्पल (ऊपर), कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी (ऊपर) और कृष्णकांत नामराकर (ऊपर) के मामलों में और

च

अदालतों द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद, कुछ अदालतों में वकील हड़ताल पर जाते हैं/हड़ताल पर होते हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में इस्तेमाल किए गए कठोर शब्दों के बावजूद, हड़ताल पर जाने के लिए वकीलों के आचरण की आलोचना करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि संदेश नहीं पहुंचा है।भारतीय विधिज्ञ परिषद के दिनांक 1 के प्रस्ताव के बावजूद, भारतीय विधिज्ञ परिषद और/या राज्यों की अन्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा भी आगे कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं।अब भारतीय विधिज्ञ परिषद और राज्यों की विधिज्ञ परिषदों के लिए कदम उठाने और ठोस कदम उठाने का दिन आ गया है।यह सुनिश्चित करना बार काउंसिलों का कर्तव्य है कि किसी भी वकील द्वारा कोई गैर-पेशेवर और अशोभनीय आचरण न हो।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ए में कहा गया है

जी.

एच.

जिला बार एसोसिएशन, देहरादून टीएचआर।

323

यह सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य [एम. आर. शाह, जे.]

पूर्व-बंदी का मामला।हरीश उप्पल (ऊपर), बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करने का कर्तव्य सौंपा गया है।यह आगे देखा गया है कि इसका मतलब यह होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करती है कि अधिवक्ता गैर-पेशेवर और अशोभनीय तरीके से व्यवहार न करें।अधिवक्ता अधिनियम की धारा 48 भारतीय विधिज्ञ परिषद को राज्य विधिज्ञ परिषदों को निर्देश देने का अधिकार देती है।यह आगे देखा गया है कि बार एसोसिएशन अलग-अलग निकाय हो सकते हैं लेकिन सभी अधिवक्ता जो ऐसे संघों के सदस्य हैं, वे बार काउंसिल के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में हैं और इस प्रकार बार काउंसिल हमेशा अपने आचरण को नियंत्रित कर सकते हैं।इसलिए, इस तथ्य पर गंभीरता से ध्यान देते हुए कि इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के बावजूद, वकील/बार एसोसिएशन हड़ताल पर जाते हैं, हम स्वतः संज्ञान लेते हैं और भारतीय बार काउंसिल और सभी राज्य बार काउंसिलों को नोटिस जारी करते हैं कि वे आगे की कार्रवाई का सुझाव दें और वकीलों द्वारा हड़ताल/काम से दूर रहने की समस्या से निपटने के लिए ठोस सुझाव दें।नोटिसों को आज से छह सप्ताह के भीतर वापस किया जा सकता है।रजिस्ट्री को भारतीय बार काउंसिल और सभी राज्य बार काउंसिलों को तदनुसार नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

ग

डी.

अंकित ज्ञान

एसएलपी खारिज कर दी गई।

ई.

च

जी.

एच.